

कार्यालय

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ0ग0 रायपुर
कमांक/ब्यूरो/अपराध/ 09(15)/ 1037/

रायपुर, दिनांक 27.03.2015

प्रति,

प्रबंध संचालक,
नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- अपराध कमांक 09/2015 धारा -13(1)डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 एवं 109, 120 बी भा.द.वि. में जानकारी प्रदाय करने बाबत।

---0---

उपरोक्त अपराध की विवेचना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि मुनीष कुमार शाह द्वारा मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद (गुजरात) एवं मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी पातड़ी (गुजरात) के प्रतिनिधि के रूप में समय-समय पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस संबंध में निम्न जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें :-

1. मुनीष कुमार शाह आपके कार्यालय में उपरोक्त कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में पत्र प्रस्तुत करते थे। उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकार-पत्र ।
2. मुनीष कुमार शाह पूर्व में कितने वर्षों से किन-किन कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं वर्षवार जानकारी एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकार-पत्र की मूल प्रति ।

पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छ0ग0)

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरा) निरीक्षक इ.अ.